क्रम-संख्या--178

रजि0 नं0 एल0डब्लू0/एन0पी0 890

लाइसेन्स नं0 डब्लू0पी0-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

वैशाख 15, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1227/सत्रह-वि-1—1(क) 6-2000

लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2000

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2000]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 25 जनवरी, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा-8 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा-8 में उपधारा (1-क) निकाल दी जायगी।

धारा-10 का निकाला जाना

3—मूल अधिनियम की धारा-10 निकाल दी जायगी।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के प्रवोन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1227(2)/XVII-V-1—1(KA) 6-2000

Dated Lucknow, May 5, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

THE UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2000

[U. P. ACT No. 17 OF 2000]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 25, 2000.

Amendment of section 8 of U. P. Act no. 24 of 1964

2. In section 8 of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 hereinafter referred to as the principal Act, sub-section (1-*a*) shall be *omitted*.

Omission of section 10

3. Section 10 of the principal Act shall be *omitted*.

Repeal and Saving

4. (1) The Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhyadesh, 2000 is hereby repealed.

U. P. Ordinance no. 2 2000

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 47 सा० विधा०—(471)—2000—850 (मैक०)।

(94)